कार्यालय–अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, जालौन स्थान उरई।

पत्रांक– 1944 /ग्रा.अ.वि./ने.वि.कोड /2017–18 दिनांक– 26/02/18

प्रमाण–पत्र

भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता 2005 में उल्लिखित शैक्षिक भवनों के लिए प्राविधानित एवं शासनादेश सं–1528/6–6–2008 शिक्षा(6) अनुभाग लखनऊ दिनांक 20 जुलाई 2009 के अनुसार दिनांक 17.02.2018 को फातिमा माता स्कूल, कालपी जनपद जालौन उत्तर प्रदेश के भवन का निरीक्षण किया गया।

उपरोक्त भवन नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के प्राविधानुसार बना है। विद्यालय भवन सभी दृष्टि से सुरक्षित एवं मजबूत है।

(अधिशासी अभियन्ता)
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
जालौन स्थान उरई।

PRINCIPAL
FATIMA MATA SCHOOL
KALPI DIST. JALAUN (U.P.)

MANAGER
FATIMA MATA SCHOOL
KALPI DIST. JALAUN (U.P.)

S.K.